

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

2 - APR 2013

क्रमांक: एफ.2(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक

-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	13/06	श्री ओ. पी. मीणा मुख्य लेखाधिकारी वित्त राजस्व विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	II/45 गांधीनगर	30.6.2023
2.	3/2010	श्री सुखवीर सेनी आर.ए.एस. अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर चतुर्थ	एम-14 गांधीनगर	30.6.2031
3.	64/2010	श्री प्रवीण कुमार उप निदेशक मोनिटरिंग प्रोग्राम मोनिटरिंग सेल कार्यक्रम क्रियान्वयन, शासन सचिवालय जयपुर	II/27 गांधीनगर	31.12.2030
4.	3/2012	श्री डूंगर सिंह अधीक्षक अभियन्ता यांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग मेकेनिकल सर्किल, जयपुर	एन-14 गांधीनगर (5/6 हीराबाग के स्थान पर)	30.4.2020
5.	13/2012	श्री माधूसिंह राव उप शासन सचिव आयोजना (जनशक्ति) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	II/12, गांधीनगर	31.7.2020
6.	15/2012	श्री सीताराम मीणा उप निदेशक कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) वित्त भवन, जयपुर	एन-40 गांधीनगर	28.2.2018
7.	31/2012	श्री लक्ष्मीनारायण मीणा आर.ए.एस. अतिरिक्त आयुक्त मू प्रबंध विभाग, जयपुर	II/43, गांधीनगर (II/44, गांधीनगर के स्थान पर)	31.5.2020
8.	6/2013	श्री योगेश यादव आईपीएस पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम, जयपुर (नीतिगत निर्णय अनुसार)	II/59 एवीएस गांधीनगर	31.8.2041
9.	10/2013	डा० योगेश कुमार गुप्ता सहायक आचार्य पैथोलोजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर	103 माडल टाउन	30.6.2042
10.	11/2013	श्री दिनेश कुमार अधिशापी अभियन्ता आईडीएण्डआर, जल संसाधन ईकाई, जयपुर	504 माडल टाउन	30.4.2033
11.	12/2013	डा (श्रीमती) सोनाली भाटिया सहायक आचार्य निश्चेतना सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	704 माडल टाउन	30.6.2039
12.	16/2013	डा० रवि आईपीएस पुलिस अधीक्षक सुरक्षा राज्य विशेष शाखा जयपुर	202 माडल टाउन	31.12.2036

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूला होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. कम संख्या 8, 9, 10, 11 व 12 पर अंकित अधिकारियों से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, वित्त (जीएफएण्डआर) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, प्रोग्रामर मोनिटरिंग सैल कार्यक्रम क्रियान्वयन शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि (साधारण बीमा निधि वित्त भवन) जयपुर।
11. शासन उप सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. उपायुक्त पुलिस, जयपुर पश्चिम, जयपुर।
14. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
15. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
16. पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा, राज्य विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर।
17. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर।
20. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
21. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
22. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
23. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
25. श्री डुंगर सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेकेनिकल सर्किल, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास संख्या एन-14, गांधीनगर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास संख्या 5/6, हीराबाग रिक्त कर सूचित करावें।
26. श्री लक्ष्मीनारायण भीणा, आरएएस, अतिरिक्त आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, जयपुर-कृपया परिवर्तित आवास संख्या 11/43, गांधीनगर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास संख्या 11/44, गांधीनगर रिक्त कर सूचित करावें।
27. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग।
28. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
29. रक्षित पत्रावली।


(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव